न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/05/2020	2020/00104	17.12.2020	31.12.2025

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

2. अशोक कुमार पुत्र किशोर लाल जाति ब्राहम्ण निवारी ग्राम टहटड़ा तहसील रैणी जिला अलवर।
3. कमला पत्नी शिवप्रसाद पुत्री जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवारी थूमड़ा तहसील रैणी जिला अलवर।
4. कैलाश चंद पुत्र कल्याण सहाय —मृतक जरिये वारीसान
   3/1 कल्पना पत्नी कैलाश चन्द
   3/2 प्रशांत पुत्र स्व. कैलाश चंद
   3/3 विजय कुमार पुत्र स्व. कैलाश चंद
5. जयप्रकाश पुत्र किशोर नवीरा जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण हालवासी RZF-1002 साधनगर पालम कॉलोनी नई दिल्ली।
6. मुरारी लाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी टहटडा तहसील रैणी जिला अलवर।
7. मालती देवी पत्नी रामचरण पुत्री जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी बालाहेडी तहसील महुवा जिला दौसा।
8. रूकमणी देवी पत्नी रघुवीर पुत्री जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ईशवाना —फोत जर्ये मृतक वारीसान।
   7/1 गजाननद पुत्र रघुवीर प्रसाद
   7/2 राजेंद्र पुत्र रघुवीर प्रसाद
   7/3 महेश चन्द पुत्र रघुवीर प्रसाद
   7/4 जयप्रकाश पुत्र रघुवीर प्रसाद समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ईशवाना तहसील रैणी जिला अलवर
   7/5 बीना देवी पत्नी भगवत प्रसाद पुत्री रूकमणी देवी जाति ब्राहम्ण निवासी खेड़ा कल्याणपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर
   7/6 निर्मला, महेश चंद की पत्नी, रुक्मणी देवी की पुत्री, जाति ब्राह्मण, बिदुका तहसील, कठूमर, जिला अलवर।
9. रामोतार पुत्र कल्याण सहाय जाति ब्राहम्ण हालवासी निवासी RZF-1002 शिव मन्दिर मार्ग राजनगर 1 पालम कॉलोनी साऊथ वेस्ट दिल्ली—110045
10. सतीश चन्द पुत्र भगवान सहाय नवीरा जगन्नाथ —मृतक जर्ये वारीसान
   9/1 हार्दिक पुत्र सतीश कुमार जाति ब्राहम्ण हाल निवासी RZF-1002 राजनगर 2 एच ब्लाक नई दिल्ली 110045
11. सुभाष चन्द पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी RZF-1002 राजनगर 2 एच ब्लाक नई दिल्ली 110045

—अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री राजकीय अभिभाषक — राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त ... (प्रथम) 31/12/25

—:: निर्णय ::—

यह रेफरेन्स प्रकरण तहसीलदार रैणी, जिला अलवर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मुख्य निवेदन है कि ग्राम टहटड़ा, तहसील रैणी स्थित माफी मन्दिर श्री गोविन्द देवजी महाराज विराजमान वृन्दावन की भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण और विधि विरुद्ध तरीके से निजी व्यक्तियों (अप्रार्थीगण) के नाम खातेदारी दर्ज हो गई है, जिसे निरस्त कर पुनः मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद दीक्षित द्वारा वकालतनामा दिनांक 19.06.2025 को प्रस्तुत किया गया, परन्तु बहस के दौरान न तो अधिवक्ता उपस्थित हुए और न ही अन्य कोई अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अतः प्रार्थी (सरकार) की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई

प्रार्थी तहसीलदार रैणी की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माफी मन्दिर गोविन्द देवजी महाराज विराजमान वृन्दावन उत्तरप्रदेश की भौमिक अधिकार भूमि साबिक रिकॉर्ड खैतानी सम्वत् 2004 खाता संख्या 11 खसरा नम्बर 610 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खाता नम्बर 17 खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 125 खसरा नम्बर 365 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 588 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 605 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 606 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 607 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 608 रकबा 2 बीचा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 609 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 660 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 176 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 134 खसरा नम्बर 182 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 186 खसरा नम्बर 53 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त खाता भूमि इन्द्राज विगत बन्दोबस्त सम्वत 2014 ला0 33 व गत बन्दोबस्त सम्वत 2046 ला0 65 तदन्तर हाल जमाबन्दी सम्वत 2073 ला० 76 खाता संख्या 233 के अनुसार खसरा नम्बर 308/0.45, 309/0.42, 317/0.66, 673/0.23, 678/0.23, 1032/0.47, 1160/0.24, 1161/0.12, 1164/0.82, 1165/0.61, 1166/0.21, 1167/0.42, 1168/0.42, 1180/0. 26, 1181/0.54, 1182/1.10 कुल खसरा नम्बर 16 कुल रकबा 7.20 है० अशोक कुमार पुत्र किशोर नवीरा जगन्नाथ 1/14, कमला देवी पत्नी जगन्नाथ 1/7, कैलाश चन्द पुत्र कल्याणसहाय नवीस जगन्नाथ 1/14, जयप्रकाश पुत्र किशोर नवीरा जगन्नाथ 1/14, मुरारीलाल पुत्र जगन्नाथ 1/7, मालती देवी पुत्र जगन्नाथ 1/7, रूकमणी देवी पुत्री जगन्नाथ 1/7, रामोतार पुत्र कल्याणसहाय नवीरा जगन्नाथ 1/14, सतीश चन्द पुत्र भगवानसहाय नवीरा जगन्नाथ 1/14, सुभाष चन्द पुत्र भगवानसहाय नवीरा जगन्नाथ 1/14 जाति ब्राहम्ण सा०देह खातेदारान् के नाम की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 ला० 75 वाके ग्राम टहटडा सलग्न है। उक्त आराजी रेफरेन्स में वादग्रस्त है। जिसे रेफरेन्स में आगे विवादित आराजी से सम्बोन्धित किया गया है जिसके संवंध में प्रारम्भिक रिकॉर्ड सम्वत् 2004 से वर्तमान सम्वत् 2073 से 75 तक परिवर्तित इन्द्राज की स्थिति विवरण निम्न प्रकार है।

जमाबन्दी मौजा टहटडा निजामत राजगढ राज अलवर खता खैतोनी सम्वत् 2004 खाता संख्या 11 खसरा नम्बर 610 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा खाता नम्बर 17 खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 125 खसरा नम्बर 365 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 588 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 605 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 606 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 607 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर

3/12/25

608 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 609 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 669 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खाता संख्या 126 खसरा नम्बर 176 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 134 खसरा नम्बर 182 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 186 खसरा नम्बर 53 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा जो राजस्व रिकॉर्ड में मन्दिर माफी गोविन्द देवजी महाराज की खातेदारी में दर्ज होते हुऐ रामधन पुत्र घासी राम ब्राहम्ण का नाम उपकृषक के रूप में दर्ज रिकॉर्ड रहा है। उपरोक्तानुसार भूमि अग्रीम जमाबन्दी खेवट खैतोनी सम्वत् 2012 वाके ग्राम टहटडा के खाता संख्या 183, 184, 185, 194, 195, 223, 028, 296 के मुताबिक मनमाफी मन्दिर श्री गोविन्द देवजी महाराज के नाम खातेदारी में दर्ज होकर विभिन्न उपकृषकों के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 संलग्न है।

उपरोक्तानुसार पर्यन्त भू–प्रबन्ध (सेटिलमेन्ट) सम्वत् 2014 ला० 2033 में मन्दिर मूर्ति गोविन्द देवजी के खाते की भूमि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल नवीन नम्बरान् निम्नानुसार परिवर्तित हो गये। खसरा नम्बर 173 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 367 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 532 रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा, खसरा नम्बर 597 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 601 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 602 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 603 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 604 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 605 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 671 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम टहटडा मुताबिक जमाबन्दी बन्दोबस्त खैतोनी सम्वत् 2014 ला० 33 खाता संख्या 38 व 191 में मन्दि मूर्ति श्री गोविन्द देवजी महाराज साकेन देह के नाम खातेदारी में दर्ज होकर उपकृषक रामधन पुत्र घासी राम हिस्सा 1/2 व जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/2 कौम ब्राहम्ण खाकेने देह उपकृषक के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। ताईद में नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2014 संलग्न है।

बन्दोबस्त सम्वत 2014 के पश्चात् बनी जमाबन्दी सम्वत 2016 ला० 19 खाता संख्या 138 में राजस्व कर्मचारियान द्वारा विधि विरूद्ध हाल आराजी को अप्रार्थीगण के पूर्वज रामधन पुत्र घासीराम ब्राहम्ण हिस्सा 1/2 व जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/2 ब्राहम्ण के नाम दर्ज कर दिया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2016 ला0 19 संलग्न है और उनके स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थीगण के नाम विरासत के आधार पर खातेदारी दर्ज कर दी गई है। जबकि मन्दिर मूर्ति एक ऐसा ज्यूरिस्टीक पर्सन है जो शाशवत् नाबालिंग हैं जो कभी बालिग होती ही नहीं है। इस कारण मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति, उपकृषक, पुजारी, सेवादार आदि को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इस कारण अप्रार्थीगण अशोक वगैहरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सम्वत इन्द्राजात हजफ करते हुऐ पुनः मन्दिर मूर्ति गोविन्द देवजी महाराज के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना विधि सम्मत् है।

उपरोक्त खाता भूमि में से पश्चातवर्ती जमाबंदी संवत 2025 ला० 28 खाता संख्या 158 में खसरा नम्बर 173, 179, 367, 532, 597, 601, 602, 603, 604, 605, 671 कुल किला 11 कुल रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा रामधन पुत्र घासीराम ब्राहम्ण हिस्सा 1/2 व जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालाल ब्राहम्ण हिस्सा 1/2 सा०देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड किया गया है जो पश्चातवर्ती बनी जमाबन्दी सम्वत् 2036 ला० 39 के खाता संख्या 46 में उपरोक्त आराजी कुल किता 11 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा महंत जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज कर दी गई। ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025 ला0 28 व सम्वत 2036 ला० 28 संलग्न है। कालान्तर में विवादित आराजी का भू–प्रबन्ध कार्यावाही सम्वत् 2046 में हुवा जिसे रिकॉर्ड मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत 2046 के मुताबिक खाता से– 49 उक्त खसरा नम्बरान के नवीन (हाल) खसरा नम्बर निम्न प्रकार बनाये गये है। खसरा नम्बर 104 रकबा 0.92 है0, 1032 रकबा 0.47 है0, 1160 रकबा 0.24 है0, 1161 रकबा 0.12 है0, 1164 रकबा 0.82 है0,

31/12/15

1165 रकबा 0.61 है0, 1166 रकबा 0.21 है0, 1167 रकबा 0.42 है0, 1168 रकबा 0.42 है0, 1180 रकबा 0.26 है0, 1181 रकबा 054 है0, 1182 रकबा 1.10 है0, 308 रकबा 0.45 है0, 309 रकबा 0.42 है0, 317 रकबा 0.66 है0, 673 रकबा 0.23 है0, 678 रकबा 0.23 है0 ताईद में मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 संलग्न है। सेटिलमेन्ट खैतोनी ग्राम टहटडा सम्वत् 2046 ला0 65 खाता संख्या 19 के मुताबिक खसरा नम्बर 104/0.92, 1032/0.47, 1160/0.24, 1161/0.12, 1164/0.82, 1165/0.61, 1166/0.21, 1167/0.42, 1168/0.42, 1180/0.26, 1181/054, 1182/1.10, 308/0.45, 309/0.42, 317/0.66, 673/0.23, 678/0.23, 597/0.66 कुल किता 17 कुल रकबा 8.12 है0 दर्ज रिकॉर्ड है जो जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण सा०देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजगढ मूर्तहीन बिना कब्जा दर्ज रिकॉर्ड रहा है एवं इन्तकाल नम्बर 369 विरासत दिनांक 05.04.2003 अनुसार जगन्नाथ के फौत होने पर विरासत बहक्क अप्रार्थीगण अशोक कुमार पुत्र किशोर नवीरा जगन्नाथ 1/14, कमला देवी पत्नी जगन्नाथ 1/7, कैलाश चन्द पुत्र कल्याणसहाय नवीरा जगन्नाथ 1/14, जयप्रकाश पुत्र किशोर नवीरा जगन्नाथ 1/14, मुरारीलाल पुत्र जगन्नाथ 1/7, मालती देवी पुत्र जगन्नाथ 1/7, रुक्मणी देवी पुत्री जगन्नाथ 1/7, रामोतार पुत्र कल्याणसहाय नवीरा जगननाथ 1/14, सतीश चंद पुत्र भगवानसहाय नवीरा जगननाथ 1/14; सुभाष चंद पुत्र भगवानसहाय नवीरा जगननाथ 1/14 जाति ब्राह्मण पीएनबी शाखा रैणी में दर्ज है।

इन्तकाल नम्बर 389 दिनांक 25.05.2003 के मुताबिक न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय व डिकी की पालना में खसरा नम्बर 104 रकबा 0.92 है० बहक्क माफी मन्दिर श्री सालीगरामजी महाराज सा०देह खातेदार रहन पी०एन०बी० शाखा रैणी स्वीकार दर्ज हुआ। ताईद में निर्णय प्रति संलग्न है। तदउपरान्त उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 ला० 75 खाता संख्या 233 अनुसार अप्रार्थीगण अशोक पुत्र किशोर नवीरा जगन्नाथ व अन्य के नाम कुल खसरा किता 17 कुल रकबा 7.20 है० दर्ज रिकॉर्ड है। ताईद में नकल जमाबन्दी संलग्न है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानुसार हिन्दु देवता या मूर्ति प्रतिमा की भूमि धारा 46 (1) क' तथा धारा 5 (25) के परन्तुक के मुताबिक एक अवयस्क की स्थिति में होने से देव मूर्ति या प्रतिमा एक विधिक व्यक्ति है जो शाश्वत् नाबालिग है जो कभी बालिग होती ही नही है। ऐसी स्थिति में देव मूर्ति मन्दिर माफी की भूमि जिस पर पूजारी या अन्य किसी भी व्यक्ति या उपकृषक द्वारा काश्त की जाती है तो भी उस भूमि को मन्दिर मूर्ति की खुद काश्त भूमि समझा जावेगा और उस भूमि पर खेती करने वाले को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगे। देव मूर्ति द्वारा धारित भूमि पर एक उप अभिधारी को धारा 15 व धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक खातेदारी अधिकार नही मिल सकते है। क्योंकि वह मन्दिर मूर्ति जो की शाश्वत् नाबालिग है, का उप अभिधारी है। विधि कि दृष्टि से एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है एवं माफी के पुर्नग्रहण पर खातेदारी अधिकार पूजारी या उपकृषक को प्राप्त नही हो सकते है। परन्तु विधि के प्रवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुद काश्त भूमि में प्राप्त हो जाते है। उक्त विवेचन के मुताबिक माफी मन्दिर की भूमि को पूजारी या उपकृषक द्वारा कपटपूर्ण तरीके से अनियमिमता के आधार पर स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज करवाई है जो अनियमित कार्यवाही है जो पूजारी या उपकृषक के नाम आवृतित खातेदारी अंकन अवैधानिक व अनुचित है जो धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का सरासर उल्लंघन है। चूंकि कानूनन पूजारी को या उप अभिधारी को मन्दिर मूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक राजस्व (ग्रप–3) विभाग प्रत्रांक प. 21 (97) राज/79 दिनांक 16.09.80 व परिपत्र राजस्व (ग्रप–3) विभाग प.2 (4) राज/90/37 दिनांक

आ. रेवेन्यू (प्रथम) 31/12/25

13.12.91 के अनुसार मन्दिर माफी भूमियों पर पूजारी व किन्ही उप अभिधारियों द्वारा कपटपूर्ण अनियमित कार्यवाहीयों के माध्यम से स्वयं के नाम खातेदारी इन्द्राज अंकित करवाये गये है। उक्त भूमि इन्द्राज के संबंध में मन्दिर मूर्ति की भूमि पुनः मन्दिर मूर्ति की माफी में दर्ज करवाने की कार्यवाही हेतु अर्न्तगत धारा 82 एल०आर०एक्ट के तहत रेफरेन्स करने के निर्देश प्रदान किये हुऐ है।

अतः रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि मंदिर मूर्ति गोविंद देवजी महाराज विराजमान वृंदावन, उत्तर प्रदेश के नाम पूर्ववृति रिकॉर्ड अंकित कृषि भूमि पर मंदिर मूर्ति के स्वतवः खातेदारी अधिकार की पुर्नस्थापना हेतु रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती के क्रम में रिकॉर्ड आधारित विवरण व दस्तावेज प्रतियों के रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 एल०आर०एक्ट 1956 तहत राज्य हित में प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर उल्लेखित विवादित भूगि पुनः मन्दिर मूर्ति गोविन्द देवजी महाराज के नाम दर्ज रिकॉर्ड करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने पैरोकार सरकार, राजकीय अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड का अलवलोकन किया। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि विवादित भूमि साबिक रिकॉर्ड खेवट खतौनी संवत 2004 के अनुसार मन्दिर माफी गोविन्द देवजी महाराज के नाम दर्ज थी, जिसमें रामधन पुत्र घासीराम उप–कृषक के रूप में अंकित थे। इसके पश्चात संवत 2012 और बन्दोबस्त संवत 2014 (खाता संख्या 38 व 191) तक भी उक्त भूमि मन्दिर मूर्ति श्री गोविन्द देवजी महाराज के नाम खातेदारी में दर्ज रही और उप–कृषक के रूप में रामधन व जगन्नाथ का नाम दर्ज रहा। परन्तु, बन्दोबस्त के पश्चात संवत 2016 की जमाबंदी (खाता संख्या 138) में राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से मन्दिर का नाम हटाकर अप्रार्थीगण के पूर्वज रामधन व जगन्नाथ के नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिए गए। वर्तमान में जमाबंदी संवत 2073 (खाता संख्या 233) में कुल 17 खसरा नंबरान (रकबा 7.20 हेक्टेयर) अप्रार्थीगण अशोक कुमार व अन्य के नाम दर्ज चले आ रहे हैं। राजकीय अभिभाषक का मुख्य कानूनी तर्क यह है कि हिन्दू कानून के तहत 'देव मूर्ति' (Deity) को 'शाश्वत अवयस्क' माना गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46(1) 'क' तथा धारा 5(25) के प्रावधानों के अनुसार, मन्दिर मूर्ति की भूमि पर कोई भी पुजारी, सेवादार या उप–कृषक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी भूमि 'खुदकाश्त' मानी जाती है और मूर्ति की ओर से काश्त करने वाला व्यक्ति मात्र एक व्यवस्थापक होता है, खातेदार नहीं।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां (संवत 2004 से संवत 2073 तक) और मिलान क्षेत्रफल का गहन अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि मूल रूप से "माफी मन्दिर श्री गोविन्द देवजी महाराज" की थी। संवत 2016 से पूर्व तक यह भूमि मन्दिर के नाम ही खातेदारी में थी। संवत 2016 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के या बिना किसी वैधानिक हस्तांतरण प्रक्रिया के, यह भूमि मन्दिर के बजाय निजी व्यक्तियों (अप्रार्थीगण के पूर्वजों) के नाम दर्ज कर दी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में यह स्थापित सिद्धान्त है कि मूर्ति एक "शाश्वत अवयस्क" है। अवयस्क की भूमि पर काश्तकारी अधिनियम के तहत उप–कृषक को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते, चाहे वह कितने ही लम्बे समय से काश्त क्यों न कर रहा हो। धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्पष्ट रूप से अवयस्कों (जिसमें मन्दिर मूर्ति शामिल है) की भूमि को खातेदारी अधिकारों के अर्जन से सुरक्षित करती है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.09.1980 एवं 13.12.1991 के अनुसार भी मन्दिर माफी भूमियों पर यदि पुजारियों या उप–अभिधारियों ने अपने नाम दर्ज करवा लिए

31/7/25

हैं, तो उन्हें धारा 82 के तहत रेफरेन्स प्रस्तुत कर सुधारा जाना चाहिए। इस प्रकरण में अप्रार्थीगण को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया, परन्तु वे उपस्थित होकर यह सिद्ध करने में विफल रहे कि मन्दिर की भूमि उनके नाम पर किस विधिक प्रक्रिया के तहत हस्तांतरित हुई। चूंकि मूलतः भूमि मन्दिर की थी और मन्दिर एक अवयस्क की श्रेणी में आता है, अतः निजी व्यक्तियों के नाम हुआ नामांतरण और जमाबंदी इंद्राज विधि विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार रैणी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को विवादित आराजी वाके ग्राम टहटड़ा, तहसील रैणी, जिला अलवर की जमाबंदी संवत 2073 के खाता संख्या 233 में दर्ज खसरा नम्बरान 308 रकबा 0.45 है0, 309 रकबा 0.42 है0, 317 रकबा 0.66 है0, 673 रकबा 0.23 है0, 678 रकबा 0.23 है0, 1032 रकबा 0.47 है0, 1160 रकबा 0.24 है0, 1161 रकबा 0.12 है0, 1164 रकबा 0.82 है0, 1165 रकबा 0.61 है0, 1166 रकबा 0.21 है0, 1167 रकबा 0.42 है0, 1168 रकबा 0.42 है0, 1180 रकबा 0.26 है0, 1181 रकबा 0.54 है0, 1182 रकबा 1.10 है0 कुल रकबा 7.20 हेक्टेयर भूमि से अप्रार्थीगण (अशोक कुमार व अन्य) का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि को पुनः पूर्ववत "मन्दिर मूर्ति श्री गोविन्द देवजी महाराज विराजमान वृन्दावन, उत्तरप्रदेश" के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की सिफारिस के साथ भिजवाया जावे।

आज यह निर्णय दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)